

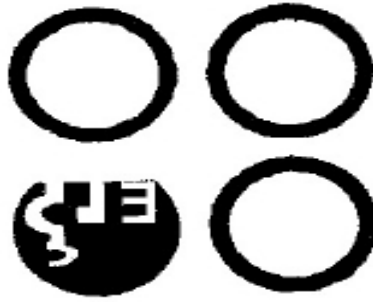
(1)

कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्य के संपादन हेतु।

ई-निविदा प्रथम – अल्पकालीन



(निविदा फार्म का मूल्य ₹0 2000/-)

(निविदा फार्म क्र ———)

कार्यालय – डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स, 0755.2450896

(02)

क्रं.	विवरण ।	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्तें एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	शेड्यूल आफ आईटम्स	12 – 13
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश ।	14
कुल पृष्ठ – 14		

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म० प्र०)

फोन नं. 0755 - 2478250- 51,52,53

निविदा सूचना क्र. / भो.स.दु.सं./ यॉ.-सिविल- / 2026

दिनांक.

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु। ई- निविदा प्रथम-अल्पकालीन तदनुसार ई-निविदा प्रथम दि. 28.01.2026 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साइट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु।	रु 2,000/-	रु 47,200/-	रु. 23.60/- लाख

निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 28.01.2026 तक दोपहर 3:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ के प्रशासन विभाग में स्वयं के लोक निर्माण विभाग के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक- 29.01.2026.. को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

(4)

— अनुसूची प्रथम—
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
(सामान्य निर्देश)

- 1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण — ई— निविदा प्रथम सूचना क्रं.
/भो.स.दु.सं./ यॉ—सिविल/...../ 2026 दि०
- 2 निविदा फार्म का मूल्य — राशि रु० 2,000 /—
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
- 3 ई—निविदा (प्रथम) दि. 28.01.2026 दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब— साईट www.mptenders.gov.in से डाउन लोड एवं जमा किया जायेगा।

संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु।	रु. .47,200 /— अमानत राशि (EMD)
--	------------------------------------

4. कार्य का विवरण — संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु। कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन निर्धारित प्रोफार्मा में भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची (तृतीय) के बिन्दु क्र० 10 एवं 9—21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य का मूल्य — रु. 23.60 लाख।
6. ऑन लाईन माध्यम से निविदाकार को दिनांक— 28.01.2026 दोपहर 3:00 बजे तक अपना पंजीयन एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें दिनांक 29.01.2026 दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यों हेतु दरें एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के 01 जनवरी सन् 2024 से लागू एस.ओ.आर., के अनुसार ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी है।

(5)

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्याद भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्याद
भोपाल।

विषय:- संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु।

- (1) निविदाकार का नाम :- _____
(2) पूरा पता :- _____
(3) फोन नं०/मोबाइल नं० :- _____
(4) लो०नि०विभाग म०प्र० में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- _____

5. PAN का विवरण :- _____

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :- _____

07. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :- _____

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. / दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्र ऑन लाईन से जमा करने हैं।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य है, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम _____

(6)

अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्तें आदि)

निर्देशानुसार संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्यों के संपादन हेतु। ऐस्टीमेट तैयार किया गया। जिसका ऐस्टीमेट निम्नानुसार है। पृष्ठ 12-13 पर दिये गये विवरण अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन निविदा जमा कर सकते हैं।

- 1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रु0 47,200/- बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 02 वर्ष पश्चात् वापस की जावेगी।
- 2 सफल निविदाकार को राशि रु. 50,000/- कि बैंक ग्यारंटी जमा करनी पड़ेगी। जो कार्य पूर्ण होने के 01 मानसून के पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जावेगी। इसके बिना कार्यादेश दिया नहीं जायेगा।
- 3 सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत किया जायेगा।
- 4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रुपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रुपये 3,00,000/- जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) सुरक्षा निधि:-

- 5-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि (Defect Liability period)

- 6-1 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।
- 6-2 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य अवधि -

- 7-1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन है।

(8) दर —

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करें।

(8) (B) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदाकार द्वारा नहीं किया जाता है। या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ —

9-1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9-2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी।

9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9-4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9-5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 7-दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तों का समावेश करते हुये रु0 1000/- के, नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।
- 9-11 प्रपत्र-3 में उल्लेखित निर्माण कार्य की पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/ लंबित रखने/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक /अन्य कार्य कराये जाने पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार होगी। एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आईटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 9-12 आवश्यकता होने पर दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिज़ाइन दी जायेगी एवं कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौतानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबाबदार नहीं होगा।
- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रूप में कटौती की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौती के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे।
- 9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्योरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।

9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

9-20 कार्य की आवश्यकता को देखते हुये संघ निविदाकार से आवश्यक कार्य करा सकता है। कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

9-21 निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ ऑन लाईन जमा करना वांछित दस्तावेज है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती है।

(i) GST Registration.

(ii) PWD Registration.

(iii) EPF पंजीयन

(iv) ESIC पंजीयन

(v) पिछले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट एवं विगत तीन वर्षों के ITR (21-22, 22-23, 23-24) संलग्न करें।

(vi) पिछले पाँच सालों में कम से कम कुल रु. 50.00 लाख के कार्य के प्रमाण पत्र जिसमें कार्यादेश एवं कार्य कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(vii) ज्वाईंट वेंचर मान्य नहीं होगा।

9-22 कार्य के दौरान ठेकेदार श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे- चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा। निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा। व्यवस्था किया जाना जैसे:- रेत, गिट्टी सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।

9-23 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेड्यूल आफ आईटम्स पृष्ठ क्रं0 12-13 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।

9-24 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

(10)

9-25) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

9-26 कृपया ई-निविदा दर देने के पूर्व कंडिका क्रं. 9.26 के बाद का अवलोकन करें।

9-27) निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यो के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा।

9-28 उक्त निविदा में विभाग के सिविल इंजीनियर जिसे सिविल की योग्यता एवं ज्ञान होगा उसके द्वारा बिल का सत्यापन किया जावेगा अन्यथा बिल मान्य नहीं होगा।

9-29 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9-30 उक्त निविदा के कार्य एवं स्वीकृत दरें अन्य स्थान, जिले एवं शहर के लिये मान्य होंगे। जो कि निविदाकार को मान्य होंगे।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना –

10-1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एवं होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतु अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर सन् 2024 से जारी एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर / नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –

11-1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु, एम.पी.सी.डी.एफ., के प्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार “भोपाल” होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.,
भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा (प्रथम- अल्पकालीन) क्रं...../भो.स.दु.सं.
/यां0-सिविल/...../2026 दिनांक..... के संदर्भ में निमाण कार्य हेतु मैं/हम अपनी दर
निम्नानुसार प्रेषित करते हैं। मैंने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भली भांती पढ़ व समझली है तथा
मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
2	3	4	5
संघ मर्यादित में 60 K.L. & 100 K.L. के दो Silo Tank हेतु Foundation का निर्माण किया जाना है। साथ ही Silo Tank से Processing Plant में जाने हेतु Shed work का निर्माण कार्य के संपादन हेतु। जिस हेतु पृष्ठ क्रं0 12-13 पर दिये गये शेड्यूल आफ आइटम्स के विवरण के अनुसार। कृपया निविदादर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन भलीभांती किया जाना अपेक्षित है।	रु.23.60 लाख	रु. 47,200 / -	M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक -01 जनवरी सन् 2024... के अनुसार% शब्दों में.....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :- निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम-

पता/ मो.नं-.....

.....
.....

(12)

100K and 60K Silo Tank Foundation Estimate				
S.NO.	S.O.R.	PARTICULARS OF ITEMS	QTY	UNIT
1	15.3	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of		
		Hard Park	18.000	Cum
2	15.4	Extra for cutting reinforcement bars manually/ by mechanical means in R.C.C.		
		Hard Park	60.000	Sqm
3	2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means	234.000	cum
		Providing and laying in position cement concrete of		
4	4.1.1.4	M-10Nominal (Mix-1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate)		
		P.C.C.	22.000	cum
5	5.9.1	Foundations, footings, bases of columns, etc. for concrete upto plinth leve	247.600	Sqm
6	5.16.6	Reinforcenent for R.C.C. work including straightening ,cutting,bending,of specified	8035.850	Kg
		Providing and laying in position ready mixed concrete		
7	5.30.1	All works upto plinth level.	112.320	cum
8	5.1	providing and laying in position specified grade of reinforced cemmennt		
		M - 20 Grade Concrete.	7.040	cum
9	6.4.2	Brick work with well burnt chimney bricks in bulls	18.48	Cum
10	13.3.2	20mm cement plaster of mix (1:6)	184.80	sqm
		Finshing wall by any mechanical of manual means		
11	13.54.3	Two or more coats applied on walls @1.25 ltr/10 sqm. Overapproved	280.00	sqm

(13)				
12	10.2	Structural steel work using M.S. flats, angles, channels I-section, H-section etc. riveted, bolted		
		Door	77.00	sqm
		Steel work in built up M S tubular section (round, square or rectangular hollow tubes etc.)		
13	10.14.1	Hot finished welded type tubes	250.000	sqm
14	12.15	Providing and fixing precoated galvanised iron profile sheets (size , shape		
		Shed	90.000	sqm
15	Non Sor	sand Filling	60.00	Cum
16	11.36	Kota stone slab flooring over 20 mm (average) thick base with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 sand)	45.00	Sqm
		Total Amount		2000652
		in Net Total Addition of 18% GST		360117
		paybale Amount		2360769

Say Rs. 23.60 Lakhs (Including 18% G.S.T.)

Sr. No.	Items.	Make
1.	Sand	Narmada Sand
2.	Cement	Ultra Tech, ACC, JK Cement, Ambuja cement
3.	Paint	Asian, Burger Birla Opus
4.	Steel	Tata, Jindal, Sail

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017

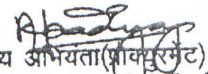
—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract

BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

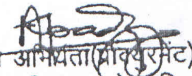
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रमुख निर्माण)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1299

भोपाल, दिनांक 09/08/17

प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


मुख्य अभियंता (प्रमुख निर्माण)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017

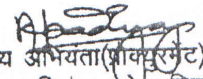
—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract

BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1299

भोपाल, दिनांक 09/08/17

प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


मुख्य अभियंता (प्रमुख म.प्र.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

